

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 218]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 मई 2013—वैशाख 20, शक 1935

चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

मध्यप्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नियम, 2013

भोपाल, दिनांक 10 मई 2013

क्र. एफ-5-58-2013-1-पचपन.—राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य में शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम और स्नातक दंत चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **शीर्षक**—ये नियम मध्यप्रदेश मेडिकल तथा डेन्टल स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2013 कहलायेंगे. ये नियम “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.
2. **परिभाषाएं**—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,—
 - 2.1 “मण्डल” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल;
 - 2.2 “महाविद्यालय” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय;
 - 2.3 “प्रवेश परीक्षा 2013” अथवा पीएमटी 2013 से अभिप्रेत है इन नियमों के अंतर्गत वर्ष 2013 में मंडल द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा;

- 2.4 “राज्य शासन” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन;
- 2.5 “प्रवर्ग” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्ग;
- 2.6 “संवर्ग” से अभिप्रेत है मिलेट्री पर्सन (एम.पी.), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), जैसा कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित किया गया है तथा विकलांग (पी.एच.) जैसा कि भारत शासन, श्रम मंत्रालय द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है;
- 2.7 “चयनित अभ्यर्थी” से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनका वर्ष 2013-14 की काउंसिलिंग में सीट आवंटन कर आवंटन-पत्र जारी कर दिया गया है;
- 2.8 “एम.सी.आई.” से अभिप्रेत है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया;
- 2.9 “डी.सी.आई.” से अभिप्रेत है, डेन्टल काउंसिल ऑफ इंडिया;
- 2.10 “नियम” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश मेडिकल तथा डेन्टल स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2013.

3. सामान्य— (एक) एम.बी.बी.एस. एवं बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश एम.सी.आई./डी.सी.आई./विश्वविद्यालय / राज्य शासन तथा भारत सरकार के प्रवेश परीक्षा, आवंटन तथा प्रवेश के समय प्रभावशील नियमों-विनियमों तथा समय-समय पर इनमें किये गये संशोधनों के अधीन होंगे—

(दो) ये नियम निम्नलिखित पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश परीक्षा, आवंटन एवं प्रवेश के लिये सभी अभ्यर्थियों पर लागू होंगे:—

- (1) एम. बी. बी. एस. कोर्स—शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर, जबलपुर, रीवा एवं सागर.
- (2) बी. डी. एस. कोर्स—शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर.

3.1 (1) आवेदन-पत्र में प्रविष्टि करने के पूर्व अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियम पुस्तिका को भली-भांति पढ़कर एवं समझकर सम्पूर्ण सही एवं वांछित जानकारी की प्रविष्टि करें.

(2) अभ्यर्थी द्वारा मंडल को प्रेषित किये जाने वाले ऑन लाईन आवेदन-पत्र के साथ जो कलर फोटो संलग्न किये हैं वही फोटो स्कूटनी स्थल एवं आवंटित संस्था में प्रवेश के समय लेकर उपस्थित हों.

(3) अभ्यर्थी के कलर फोटो में नाम एवं दिनांक अग्र भाग के निचले हिस्से पर अंकित होना अनिवार्य है. अभ्यर्थी का चेहरा एवं दोनों कान स्पष्ट दिखने चाहिये तथा ठोढ़ी (चिन) सीधी होना चाहिए. फोटो का आकार 3.5 सेंटीमीटर (चौड़ाई) एवं लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होना आवश्यक है तथा इन फोटो की पर्याप्त प्रतियां लगभग 20 समय-समय पर प्रस्तुत करने हेतु तैयार रखे.

(4) फोटो, प्रवेश परीक्षा की नियत तिथि से तीन माह से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए.

(5) फोटो में भिन्नता पाई जाने की स्थिति में अभ्यर्थी सीट आवंटन तथा प्रवेश का हकदार नहीं होगा.

(6) अभ्यर्थी द्वारा स्कूटनी व प्रवेश के समय मांगी गई जानकारी सही सही दी जाएगी. प्रवेश परीक्षा, स्कूटनी तथा प्रवेश के समय आवंटित महाविद्यालय में अभ्यर्थी अपने सम्पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे तथा सभी स्थानों पर एकसे हस्ताक्षर करेंगे. हस्ताक्षरों में भिन्नता पाई जाने पर अभ्यर्थी सीट आवंटन/प्रवेश का हकदार नहीं होगा.

3.2 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने आवेदन-पत्र में प्रविष्टि के समय, अभिलेखों की जांच के समय, सीट के आवंटन के समय अथवा प्रवेश के समय कोई जानकारी छुपाई है एवं/अथवा असत्य जानकारी दी है तो दिया गया प्रवेश कभी भी महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा.

3.3 छात्र को दुराचरण, अनुशासनहीनता, लगातार बिना सूचना के एक माह से अधिक अनुपस्थित रहने का दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी, जिसमें अधिष्ठाता/प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन की कार्यवाही एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है.

3.4 मण्डल द्वारा निर्धारित केन्द्रों पर परीक्षा होगी. एक बार आवंटित होने पर केन्द्र नहीं बदला जावेगा. अभ्यर्थी, मण्डल के नियमों एवं निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्यकारी होगा, इनका पालन न करने पर उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी.

4. सीटों की उपलब्धता.—महाविद्यालयवार एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में उपलब्ध सीटें तालिका 1 से 3 में दर्शाई गई हैं. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों, शासकीय स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में राज्य कोटे की स्वीकृत सीटें राज्य शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप भरी जाएंगी उन्हें पी.एम.टी. प्रवेश परीक्षा 2013 के योग्य चयनित अभ्यर्थियों द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से भरा जावेगा.

4.1 15 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय कोटे के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की गई हैं. जिनके लिये चयन शासकीय स्वशासी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों के लिये नेशनल इलिजीबिलिटी प्रवेश परीक्षा 2013 (नीट) के आधार पर होगा, जिसका संचालन सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एज्यूकेशन द्वारा भारत शासन के स्वास्थ्य सेवाओं के डायरेक्टर जनरल के साथ परस्पर संपर्क से किया जायेगा.

4.2 भारत शासन के नामांकितों के लिये सत्ताईस सीट शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों में तथा एक सीट स्वशासी दंत चिकित्सा महाविद्यालय में आरक्षित की गई है (परिशिष्ट-11, 12 देखें). अनारक्षित प्रवर्ग की एक सीट स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल में लक्षदीप के विद्यार्थियों के लिये आरक्षित रखी गई है. (परिशिष्ट-13 देखें).

4.3 भारत शासन द्वारा नामांकित व्यक्तियों को प्रवेश परीक्षा से छूट दी गई है तथापि उनके पास नियम 6.2 तथा 6.3 के अनुरूप अकादमिक एवं आयु संबंधित योग्यता होना आवश्यक है.

5. आरक्षण.—20 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जनजाति, 16 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति तथा 14 प्रतिशत सीटें मध्यप्रदेश राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षित की गई है एवं शेष सीटें अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये उपलब्ध रहेगी.

5.1 ऐसे विकलांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित प्रवर्गों के हैं उनके लिये प्रत्येक प्रवर्ग में तीन (3%) प्रतिशत सीटें एम.बी.बी.एस. तथा बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षित की गई हैं. यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा.

एम.सी.आई. की अधिसूचना क्रमांक सं.भा.आ.प. 34 (41) 2008-मेडि./54469, दिनांक 25 मार्च 2009 के अनुसार ऐसी सीटें पहले 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से भरी जावेंगी. 50 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले, अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से 50 प्रतिशत से कम के बीच निचले अंगों की गतिक विकलांगता वाले अभ्यर्थियों से यह स्थान भरे जावेंगे. उपरोक्त आरक्षण के अनुसार अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर उक्त स्थान (सीटें) संबंधित प्रवर्ग के अन्य अभ्यर्थियों से ही भरी जाएगी.

व्यापम द्वारा घोषित परीक्षाफल एवं स्कूटनी उपरांत विकलांगता के प्रतिशत 50 से 70 विकलांगता तथा 40 से 50 प्रतिशत से कम विकलांगता के आधार पर व्यवसायिक परीक्षा मंडल द्वारा विकलांग अभ्यर्थियों की अलग-अलग मेरिट लिस्ट तैयार की जावेगी इस

मेरिट लिस्ट के आधार पर विकलांग कोटे की सीटों का आवंटन किया जावेगा। मेरिट लिस्ट में दो अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में अभ्यर्थी की आयु में वरीयता को अधिमान देते हुए प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी।

इन आरक्षित सीटों पर प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों को अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर से विहित प्रारूप में पात्रता प्रमाण-पत्र एवं जिला मण्डल द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण-पत्र स्कूटनी के समय प्रस्तुत करना होंगे। दोनों ही प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उन्हें सीट आवंटन की पात्रता नहीं होगी। पात्रता प्रमाण-पत्र की तिथि स्कूटनी की तिथि से तीन माह से अधिक पूर्व की नहीं होना चाहिए।

नोट.—विकलांग अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिये भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाउन, जबलपुर द्वारा जारी प्रमाण-पत्र का क्रमांक एवं जारी करने के तिथि विकलांगता का प्रतिशत इत्यादि जानकारी आवश्यक होगी। अतः इस प्रमाण-पत्र को अनिवार्य रूप से बनवायें।

एम.सी.आई. द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार निम्नलिखित विकलांगों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी :—

- (अ) हाथ/हाथों से विकलांग
- (ब) दृष्टि से विकलांग
- (स) बहरापन
- (द) 70 प्रतिशत से अधिक पैरों की विकलांगता।

5.2 एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु मिलेट्री पर्सन संवर्ग (एम.पी.) में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग अथवा अनारक्षित वर्गों के अन्तर्गत सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों के लिये प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ग में तीन प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा।

5.2.1 मिलेट्री पर्सन संवर्ग के अन्तर्गत उन सैनिकों (एम.पी.) के पुत्र/पुत्रियों के लिये सीटें आरक्षित हैं, जो सैनिक के रूप में सेवा कर चुके हैं। जिनमें भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी सम्मिलित हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थायी रूप से विकलांग हो गये हों।

5.2.2 भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अन्तर्गत आता है।

5.2.3 मिलेट्री पर्सन संवर्ग के अन्तर्गत सेवा के दौरान मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी अथवा सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता-पिता का तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-3 (अ) अनुसार प्रस्तुत करना होगा। मिलेट्री पर्सन संवर्ग के अन्तर्गत सैनिक के पुत्र/पुत्रियों को भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले अभ्यर्थी को अपने माता/पिता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-3 (अ) अनुसार तथा अपने माता/पिता के मध्यप्रदेश में बसने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-3 (स) अनुसार संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

अभ्यर्थी ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी है एवं मध्यप्रदेश राज्य में प्रतिरक्षा कर्मचारी के रूप में पदस्थ है अथवा मध्यप्रदेश के बाहर प्रतिरक्षा कर्मचारी के रूप में पदस्थ हैं। ऐसे उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी एवं प्रतिरक्षा कर्मचारी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप 3-(ब) अनुसार प्रस्तुत करना होगा।

अथवा

वह प्रवेश परीक्षा के वर्ष की पहली जनवरी से पूर्व मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणी.—मिलेट्री पर्सनल संवर्ग के अन्तर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण, मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा.

5.3 अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनारक्षित प्रवर्गों के मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र/पुत्री या पौत्र/पौत्री या नाती/नातियों के लिये एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवर्ग में तीन प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा.

5.3.1 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वह व्यक्ति होगा जिसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर के कार्यालय में संधारित सूची में पंजीकृत हो.

5.3.2 जो अभ्यर्थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के अधीन प्रवेश के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. (प्रारूप-5) अन्य कोई दस्तावेज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग का होने के लिये वैध प्रमाण-पत्र नहीं माना जावेगा.

5.4 एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित प्रवर्गों में 30 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित की जायेगी. यह आरक्षण क्षैतिज (हारिजान्टल) होगा.

5.5 ऐसे अभ्यर्थी जो किसी संवर्ग (मिलेट्री पर्सनल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग) के अन्तर्गत प्रवेश के लिये इच्छुक नहीं हैं, वे अपनी स्वयं के प्रवर्ग के ओपन क्लास के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं.

5.6 अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार अपने प्रवर्ग के अधीन केवल एक आरक्षित संवर्ग के अंतर्गत आरक्षण के लिये आवेदन कर सकेगा. आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश शासन के सक्षम अधिकारी से विहित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. स्थाई जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण की पात्रता नहीं होगी जिसका उत्तरदायित्व स्वयं अभ्यर्थी का होगा. प्रमाण-पत्र पर प्रकरण क्रमांक, दिनांक एवं जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम एवं सील होना आवश्यक है अन्यथा प्रमाण-पत्र मान्य नहीं किया जावेगा. (प्रपत्र क्र. 4 अ, ब जो भी लागू हो).

6. अर्हताएं— 6.1 अभ्यर्थी मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी हो.

आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरन्तर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो.

अथवा

निम्नलिखित में से किसी एक का पुत्र/पुत्री होने पर भी मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी की श्रेणी में शामिल होना माना जावेगा तथा इस संबंध में अभ्यर्थी का स्थानीय निवासी होने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है :-

1. मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरंतर निवासरत हो.
2. मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो/उद्योग/व्यवसाय करता हो.
3. राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त शासकीय सेवक हो.
4. मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित संस्था/निगम/मण्डल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो.
5. केन्द्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो.

6. अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो.
7. मध्यप्रदेश में संवैधानिक अथवा विधिक पद पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो.

स्पष्टीकरण.—1. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी होने का प्रमाण-पत्र कलेक्टर या संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया हो. (प्रारूप-8).

प्रमाण-पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी होने का दिनांक तथा मोहर और जारीकर्ता अधिकारी का पदनाम होना चाहिये.

स्पष्टीकरण.—2. किसी भी अभ्यर्थी के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला मजिस्ट्रेट की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक तथा नियंत्रक हो, अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा यदि उम्मीदवार का पिता जीवित न हो परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का प्राकृतिक अभिभावक माना जायेगा. अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी.

स्पष्टीकरण.—3. मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/1, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार 28-10-2010 के पश्चात् वैध प्रारूप पर ही स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा परन्तु दिनांक 28-10-2010 के पूर्व के वास्तविक एवं मूल निवासी वैध प्रमाण-पत्र जिन्हें मध्यप्रदेश राज्य के जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा जारी किया गया है, को भी मान्य किया जावेगा.

- 6.2 एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल की 10+2 प्रणाली की बारहवीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय में प्रत्येक विषय अलग-अलग उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक अनारक्षित प्रवर्ग के तथा 40 प्रतिशत अंक आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे. आरक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी द्वारा अनारक्षित श्रेणी में सीट आवंटन प्राप्त करने हेतु भी 12वीं परीक्षा (अर्हकारी परीक्षा) में भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय पृथक्-पृथक् उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को 10+2 प्रणाली की अर्हकारी परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना आवश्यक है.

अथवा

अभ्यर्थियों के द्वारा मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा संचालित समकक्ष या उच्च परीक्षा उपरोक्तानुसार भौतिकी, रसायन तथा बायोलॉजी विषय लेकर उत्तीर्ण की हो. विदेशी नागरिक यदि प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी पात्रता पर, संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा प्रदान किये गए समानता प्रमाण-पत्र और भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा अनुमोदित होने के आधार पर ही विचार किया जावेगा.

ऐसे सभी प्रवर्गों तथा संवर्गों के अभ्यर्थियों को समकक्ष अर्हक (10+2) परीक्षा में अंग्रेजी विषय में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

- 6.3 किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश की अनुमति तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक वह 17 वर्ष की आयु का न हो चुका हो अथवा परीक्षा के वर्ष की 31 दिसम्बर को अथवा उसके पहले 17 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाला न हो.

अभ्यर्थी को ऊपर बताये अनुसार आयु की गणना करने के लिये हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रमाण-पत्र में अथवा उस परीक्षा की अंक सूची में अंकित जन्म तारीख को ही प्रमाणित दस्तावेजी सबूत माना जावेगा.

ऐसे अभ्यर्थियों के मामलों में जिन्होंने अपनी निवासी संबंधी अपेक्षाएं पूरी ली हैं, लेकिन जिन्होंने अपने माता-पिता के साथ विदेश में रहकर कोई ऐसी परीक्षा पास की है जिसे मध्यप्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश के हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के समकक्ष प्रमाणित किया हो तो उनकी आयु के सबूत के समर्थन में तत्संबंधी साक्ष्य पर विचार किया जा सकेगा.

7. फीस संरचना.—प्रत्येक अभ्यर्थी को तालिका 4 में दर्शाये अनुसार फीस नियमित रूप से जमा करनी होगी.

7.1 प्रतिभूति निक्षेप.—7.1.1 शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय/दंत चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश हेतु काउंसलिंग के दौरान अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थी को प्रतिभूति निक्षेप के रूप रुपये 10,000/-, अन्य पिछड़ा वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को प्रतिभूति निक्षेप के रूप रुपये 2000/- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता-पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3.00 लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रुपये 2000/- भुगतान करना होगा.

7.1.2 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के उन अभ्यर्थियों को जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 3.00 लाख से कम है उन्हें प्रतिभूति निक्षेप जमा करने की आवश्यकता नहीं है. अभ्यर्थी को इस संबंध में आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

7.1.3 आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को प्रवेश के समय वर्तमान सत्र का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी/3-11/1/3/2010, दिनांक 7 सितम्बर 2010 के द्वारा संबंधित तहसीलदार/अतिरिक्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार को उनके प्रभार क्षेत्र के अंतर्गत आय-प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है. आय प्रमाण-पत्र का आवेदन प्रारूप 10-अ एवं प्रारूप प्रपत्र क्रमांक 10-ब पर है. इसी प्रारूप में जारी प्रमाण-पत्र मान्य होगा.

7.1.4 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमीलेयर संबंधी निर्धारण हेतु वर्ष 2012-13 का आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा. क्रीमीलेयर में आने वाले अभ्यर्थी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे. उन्हें सामान्य वर्ग में मेरिट अनुसार पात्रता होगी.

7.2 प्रतिभूति निक्षेप इंटरशिप सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात् बिना ब्याज के संबंधित महाविद्यालय द्वारा वापिस कर दिया जायेगा. यदि अभ्यर्थी किसी कारण से आर्वाटिफ पाठ्यक्रम एवं संस्था में प्रवेश नहीं लेता है या पाठ्यक्रम में अध्ययन बंद कर देता है और इंटरशिप पूर्ण करने के पूर्व महाविद्यालय छोड़ देता है तो प्रतिभूति निक्षेप समपहृत कर लिया जाएगा.

7.3 फीस वापिसी—अखिल भारतीय कोटे व स्टेट कोटे से स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्रों द्वारा स्टेट कोटे की अंतिम काउंसलिंग के दस दिवस पूर्व सीट छोड़ने संबंधी सूचना लिखित में संस्था में प्रस्तुत करने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा फीस से 10 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि लौटाई जावेगी. उक्त समय-सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा केवल काशन मनी वापसी योग्य होगी. यह प्रक्रिया राज्य के एवं राज्य के बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी.

7.4 राज्य शासन की प्रवेश परीक्षा (पी.एम.टी.) के माध्यम से स्वशासी संस्थाओं में रिएलोकेशन द्वारा सीट परिवर्तित करने वाले छात्रों की फीस एक संस्था से दूसरी संस्था में हस्तांतरित की जावेगी.

8. परीक्षायें.—प्रवेश परीक्षायें अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम में होंगी. शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों के लिये एक ही परीक्षा आयोजित की जायेगी. अभ्यर्थी अपने विकल्प निम्नानुसार दे सकते हैं :—

- (अ) शासकीय स्वशासी चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालय
- (ब) निजी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा महाविद्यालय
- (स) दोनों.

8.1 तीन घंटे की अवधि का केवल एक बहुविकल्प वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र होगा इस प्रश्न-पत्र के प्रथम भाग में भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के सौ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और द्वितीय भाग में जीव विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान के सौ वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे.

8.2 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिये प्रत्येक सही उत्तर के लिये एक अंक दिया जायेगा. गलत उत्तर या मल्टीपल मार्किंग के लिये कोई अंक नहीं दिये जायेंगे. अनुत्तरित प्रश्न के लिये कोई भी अंक नहीं दिये जायेंगे.

8.3 परीक्षाफल की घोषणा.—मण्डल द्वारा परीक्षा का आयोजन तथा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जावेगा तत्पश्चात् प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी एवं परीक्षाफल घोषित किया जावेगा. पात्र अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम/महाविद्यालय का आवंटन काउंसिलिंग द्वारा योग्यता/सहविकल्प के आधार पर किया जावेगा. काउंसिलिंग के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक् से जारी किये जायेंगे.

8.4 प्रावीण्य सूची.—1. मण्डल द्वारा सभी सफल अभ्यर्थियों की एक योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की जावेगी. योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) में सम्मिलित होने के लिये अनारक्षित प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा (पी.एम.टी. 2013) में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा. आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवार यदि अनारक्षित प्रवर्ग की सीट आवंटन करवाना चाहते हैं तो इसके लिये उन्हें अर्हकारी परीक्षा (10+2) में भौतिकी, रसायन तथा बायलॉजी विषय में प्रत्येक विषय पृथक्-पृथक् उत्तीर्ण करते हुए संयुक्त रूप से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं प्रवेश परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक हैं.

2. सभी आरक्षित प्रवर्गों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग) की पृथक्-पृथक् योग्यता सूची (मेरिट लिस्ट) जारी की जावेगी. आरक्षित प्रवर्गों की योग्यता सूची में सम्मिलित होने के लिये उक्त प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा (पी.एम.टी. 2013) में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

3. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.) एवं मिलैट्री परसन (एम.पी.) संवर्गों के अभ्यर्थी की पृथक् से प्रवर्गवार योग्यता (मेरिट) के अनुसार पृथक्-पृथक् सूचियां भी तैयार की जावेंगी.

4. विकलांग संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये दो पृथक्-पृथक् योग्यता/मेरिट सूचियां नियम 5.1 अनुसार प्रवर्गवार न्यूनतम योग्यता अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी.

5. उपरोक्त सूचियों में प्रतीक्षा सूची नहीं होगी.

नोट.—मण्डल द्वारा अनारक्षित प्रवर्ग की मेरिट सूची में सभी प्रवर्गों के अभ्यर्थियों के साथ-साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), मिलैट्री परसन (एम.पी.) एवं विकलांग (पी.एच.) भी शामिल कर सूची तैयार की जायेगी आरक्षित प्रवर्गों की सूचियों में भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (एफ.एफ.), मिलैट्री परसन (एम.पी.) एवं विकलांग (पी.एच.) को शामिल कर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी.

8.5 पारस्परिक योग्यता.—ऐसी परिस्थिति में जब दो या अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में समान अंक प्राप्त होते हैं तब ऐसे अभ्यर्थी की आयु में वरीयता को अधिमान देते हुए पारस्परिक वरीयता तय की जावेगी.

9. काउंसिलिंग.—9.1 सीट आवंटन की प्रक्रिया ऑन लाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी. जिसके लिये पृथक् से निर्देश जारी किये जावेंगे.

9.2 भारत शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एम.सी. आई. विरुद्ध मधु सिंह, के मामले के पारित आदेश के अंतर्गत चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया के पूर्ण किये जाने का समय निर्धारित कर दिया गया है. नियम 12 में वर्ष 2013-14 हेतु कार्यक्रम दिया गया है.

9.3 सभी अंकसूचियां, प्रमाण-पत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी का नाम एक सा लिखा होना चाहिये.

9.4 ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें मध्यप्रदेश में शासकीय स्वशासी चिकित्सा/ दंत चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश उनके अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा-2013 के आधार पर दिया गया है तथा उनका चयन मध्यप्रदेश पी.एम.टी. परीक्षा-2013 में भी हुआ है, तो वे मध्यप्रदेश पी.एम.टी. परीक्षा-2013 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए आयोजित काउंसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र होंगे, उन्हें सीट प्रवेश के समय अखिल भारतीय कोटा की सीट छोड़ना होगा. (एनेक्सचर-2).

9.5 राज्य को अखिल भारतीय कोटा की लौटाई गई कुल प्राप्त सीटों को विभिन्न प्रवर्गों में राज्य कोटा की सीटों के आरक्षण नीति अनुरूप बांटा जावेगा. इनका पाठ्यक्रमों तथा महाविद्यालयों में वितरण, काउंसिलिंग के दौरान निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जायेगा.

9.6 पूर्व वर्षों में बी.डी.एस./एम.बी.बी.एस. में अध्ययनरत अभ्यर्थी यदि वर्ष 2013 की पी.एम.टी. परीक्षा के आधार पर पुनः पात्रता हासिल करता है तो अभ्यर्थी को प्रारूप-1 एवं 1 (अ) के साथ मूल अभिलेख अथवा मूल अभिलेखों की छायाप्रतियों सहित संबंधित अध्ययनरत संस्था के अधिष्ठाता/संस्था प्रमुख का यह प्रमाण-पत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा कि वे सभी अभिलेख (सूची दर्शाते हुए) मूलतः उनकी अध्ययनरत संस्था के पास जमा है तथा अधिष्ठाता द्वारा जारी पुनःआवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा (9-अ) आवंटन होने पर आवंटित संस्था में प्रवेश के समय मूल अभिलेख प्रस्तुत करना होगा अन्यथा ऐसा दिया गया आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा.

10. प्रवेश.—अभ्यर्थी, काउंसलिंग द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के अधिष्ठाता/प्राचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा।

- 10.1 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में अधिष्ठाता/प्राचार्य, दो प्राध्यापक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्गों के चिकित्सा शिक्षक रहेंगे। यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन भी करेगी तथा पात्र पाये जाने पर अभ्यर्थी को आवंटित पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय में प्रवेश देगी।
- 10.2 अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा (Neet) 2013 अथवा पी.एम.टी. 2013 से प्रवेश लेने पर समस्त मूल प्रमाण-पत्र महाविद्यालय द्वारा जमा रखे जावेंगे तथा उम्मीदवार को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र महाविद्यालय प्रशासन द्वारा जारी किया जायेगा।
- 10.3 अनुबंधित छात्रों के मूल अभिलेख पाठ्यक्रम, इन्टर्नशिप पूर्ण करने के बाद तत्समय शासन के निर्देशानुसार लौटाने की कार्यवाही की जायेगी। जो छात्र अनुबंधित नहीं है उनके मूल अभिलेख पाठ्यक्रम, इन्टर्नशिप पूर्ण करने अथवा पाठ्यक्रम की सीट से तथा महाविद्यालय से किसी भी कारण त्यागपत्र देने की स्थिति में ही लौटाये जायेंगे।
- 10.4 अभ्यर्थियों को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उनको तभी प्रवेश दिया जायेगा जब वे चिकित्सकीय दृष्टि से उपयुक्त होंगे।
- 10.5 प्रदेश के स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में एन.आर.आई. सीट्स पर प्रवेश हेतु तालिका एक में सीटें दर्शाई गई हैं। इन सीटों पर प्रवेश हेतु नियम पृथक् से अधिसूचित किये हैं।

11. बान्ड का निष्पादन—अभ्यर्थी जिसका प्रवेश एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में हुआ है, उसे एक बांड का निष्पादन करना होगा, कि वह इन्टर्नशिप पूर्ण होने के पश्चात् मध्यप्रदेश शासन की सेवा में रहकर शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर निश्चित समय तक कार्य करेगा/करेगी। बांड की राशि अनारक्षित प्रवर्ग के विद्यार्थी के लिये रुपये 5.00 लाख होगी तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) प्रवर्गों के छात्रों के लिये रुपये 3.00 लाख होगी। (प्रारूप-14)।

12. शैक्षणिक सत्र, 1 अगस्त 2013 से प्रारम्भ होगा। किसी भी कारण से होने वाली रिक्तियों पर प्रवेश 30 सितम्बर 2013 तक ही दिया जा सकेगा।

12.1 वर्ष 2013 में प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारित कार्यक्रम—

1.	प्रथम काउंसलिंग	—	माह जुलाई 2013
2.	शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ	—	1-8-2013 से
3.	द्वितीय काउंसलिंग (यदि आवश्यक हो)	—	माह अगस्त-2013
4.	किसी भी कारण से हुई रिक्तियों पर प्रवेश दिये जाने की अंतिम तिथि.	—	30-9-2013 तक

टिप्पणी.—1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11-9-2002 मधु सिंह विरुद्ध एम.सी.आई. में दिये गये निर्देशानुसार किसी भी वर्ष में 30 सितम्बर के पश्चात् किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। अतः इस वर्ष 30-9-2013 के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया समाप्त कर दी जावेगी, चाहे सीटें रिक्त रहे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य कोई निर्देश अथवा निर्णय पारित किए जाने पर तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

2. नियम 12.1 में दर्शाये कार्यक्रम के अनुसार काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम मुख्य समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा एवं कार्यक्रम में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापित किया जायेगा। साथ ही संचालनालय चिकित्सा शिक्षा, म. प्र. की वेबसाईड www.medicaleducation.mp.gov.in पर भी सूचित किया जावेगा।

13. राज्य सरकार, प्रवेश के किसी नियम प्रक्रिया को संशोधित करने का अधिकार रक्षित करती है। इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के संबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पर बाध्यकर होगा।

TABLE-1
GOVERNMENT AUTONOMOUS MEDICAL AND DENTAL COLLEGE
DISTRIBUTION OF TOTAL MBBS & BDS SEATS

MBBS COURSE										
S. No.	Medical College	All India	GOI	NRI	PH	MP	F.F.	OPEN (All CATEGORIES)	Total	
1.	G. M. C., BHOPAL	21	7+1*	05	03	03	03	97	140	
2.	G. R. M. C., GWALIOR	21	06	05	03	03	03	99	140	
3.	M. G. M. M. C., INDORE	21	03	05	03	03	03	102	140	
4.	N. S. C. B. M. C., JABALPUR	21	08	05	03	03	03	97	140	
5.	S. S. M. C., REWA	09	03	03	02	02	02	39	60	
6.	B. K. M. C., SAGAR	15	00	04	03	03	03	72	100	
Total ..		108	28	27	17	17	17	506	720	
* Lakshdeep Seat										
B.D.S. COURSE										
S. No.	Dental College	All India	GOI	NRI	PH	MP	F.F.	OPEN (All CATEGORIES)	Total	
1.	College of Dentistry, Indore	06	01	02	01	01	01	28	40	

संकेत-

MP = मिलिट्री पर्सन

FF = स्वतंत्रता सेनानी

PH = विकलांग

GOI = भारत सरकार द्वारा नामांकित

NRI = अप्रवासी भारतीय

TABLE-2
AUTONOMOUS MEDICAL COLLEGE
Category wise Distribution of Seats (State PMT Quota)

Sr. No.	Medical College	Unreserved	SC	ST	OBC	Grand Total
1.	G. M. C., BHOPAL	49	15	19	14	97
2.	G. R. M. C., GWALIOR	49	17	20	13	99
3.	M. G. M. M. C., INDORE	51	16	21	14	102
4.	N. S. C. B. M. C., JABALPUR	48	15	19	15	97
5.	S. S. M. C., REWA	20	06	08	05	39
6.	B. K. M. C., SAGAR	36	12	14	10	72
Total ..		253	81	101	71	506

Note.—30% seats will be made available to female candidate in each category.

TABLE- 3
GOVERNMENT AUTONOMOUS MEDICAL AND DENTAL COLLEGE
DISTRIBUTION OF MBBS & BDS SEATS

M.B.B.S. COURSE

S. No. of College (1)	NRI			PH			MP			FF			Grand Total (23)		
	UR (3)	SC (4)	ST (5)	UR (8)	SC (9)	ST (10)	UR (13)	SC (14)	ST (15)	UR (18)	SC (19)	ST (20)		OBC (21)	Total (22)
1. GMC, Bhopal.	3	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	3	14
2. GRMC, Gwalior.	2	1	1	1	0	1	2	0	1	0	0	0	1	3	14
3. MGM, MC, Indore.	3	1	1	0	1	0	2	1	0	0	1	1	0	3	14
4. NSCB, MC., Jabalpur	2	1	1	2	0	1	1	0	1	1	1	0	0	3	14
5. SSMC, Rewa.	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	0	2	9
6. BKMC, Sagar	3	0	0	1	1	0	2	1	0	0	0	1	0	3	13
Total :	14	4	5	4	3	3	9	3	3	2	17	9	3	17	78

TABLE- 4

FEE STRUCTURE**Autonomous Medical College Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur, Rewa, Sagar, and Dental College, Indore.**

(i)	Tuition Fees (Free Seat)	35,000/-	per annum
(ii)	Hostel Fees	10,000/-	per annum
(iii)	Caution Money (refundable)	3,000/-	
(iv)	Student Fund	500/-	Per annum
(v)	Security Deposit (refundable) Instalment	10,000/-	

TABLE- 2-2
GOVERNMENT AUTONOMOUS DENTAL COLLEGE
DISTRIBUTION OF TOTAL BDS SEATS

B.D.S. COURSE

S. No.	Name of College	UNRESERVED				SC				ST				OBC				Grand Total				
		X	MP	FF	PH	Total	X	MP	FF	PH	Total	X	MP	FF	PH	Total						
1	College of Dentistry Indore.	13	1	1	1	16	5	0	0	0	5	6	0	0	0	6	4	0	0	0	4	31

संकेत—

X = ओपन

MP = मिलिट्री पर्सन

FF = स्वतंत्रता सेनानी

PH = विकलांग

प्रारूप-1

**प्रमाण-पत्र, अभिलेखों की स्कूटनी, काउंसलिंग, आवंटन संबंधी प्रपत्र
(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)**

मैं घोषणा करता हूँ कि मैंने मध्यप्रदेश पी.एम.टी. प्रवेश परीक्षा 2013 के नियम भलीभांति पढ़कर समझ लिये हैं। तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन स्कूटनी में भाग ले रहा/रही हूँ।

स्कूटनी में भाग लेने के लिये आज दिनांक को निम्न जानकारी मूल प्रमाण-पत्र एवं अभिलेख प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है, अथवा असत्य है, या अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाये। किन्ही कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए—

1. पी.एम.टी. 2013 का रोल नं. :
2. मेरिट सूची क्रमांक :
3. पी.एम.टी. परीक्षा में प्राप्तांक :
4. पूरा नाम :
5. माता/पिता/पति/अभिभावक का पूरा नाम एवं पता :
टेलिफोन/मोबाईल नं.
- 6.1 श्रेणी (अनारक्षित/अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग) :
- 6.2 संवर्ग (सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी, विकलांग, (ओपन)
7. मूल प्रमाण-पत्र अभिलेख जो प्रस्तुत किये हैं उनके सामने सही () का चिन्ह लगायें।
(स्कूटनी समिति सदस्या द्वारा)
 1. पी.एम.टी. परीक्षा 2013 की मूल अंक सूची.
 2. अर्हकारी परीक्षा की मूल अंकसूची.
 3. आरक्षित/संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाण-पत्र.

Book No.	Disp. No.	Date	Place	Issuing Authority
 4. जन्म तिथि संबंधी कक्षा दसवीं की अंक सूची.

DD	MM	YYYY
 5. चरित्र प्रमाण-पत्र.
 6. यदि अध्ययन के दौरान कक्षा बारहवीं के बाद अंतराल हुआ हो तो नोटरी द्वारा गेप सर्टिफिकेट.
 7. मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र.

No.	Dt. of issue.	Place	Issuing Authority
 8. अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी. प्रमाण-पत्र.
 9. वर्तमान आय प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारूप में (प्रारूप-12-अ एवं 12-ब)
 10. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण-पत्र, सूची सहित. (यदि लागू हो तो)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक, पूरा नाम

स्कूटनी (सूक्ष्म जांच) समिति द्वारा भरा जावे

मेरे द्वारा समिति को उपलब्ध कराये मूल प्रमाण-पत्रों, अभिलेखों 1 से 10 की पूर्णतः जांच की. प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के दो सेट रिकार्ड हेतु जमा कर लिये गये हैं. प्रमाण-पत्रों पर पाई गई कमियों को ऊपर उल्लेखित किया गया है.

सदस्य, स्कूटनी समिति
(नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, दिनांक)

परीक्षणोपरान्त उम्मीदवार काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र हैं, अथवा निम्न प्रमाण-पत्रों एवं अभिलेख प्रस्तुत नहीं कराने के कारण अथवा अन्य कारणों से काउंसलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं है.

अध्यक्ष, स्कूटनी समिति
(हस्ताक्षर, दिनांक, नाम एवं पदनाम)

प्रारूप-1-अ

शपथ पत्र

मैं/आत्मज/आत्मजा श्री उम्र निवासी आज दिनांक को शपथ पूर्व घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा काउंसलिंग में लिये गये निर्णय से मैं वचनबद्ध रहूंगा/रहूंगी.

आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर मैं नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों का पालन करूंगा/करूंगी.

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| 1. गवाह के हस्ताक्षर | अभ्यर्थी के हस्ताक्षर |
| दिनांक | दिनांक |
| नाम | पूरा नाम |
| पूरा पता | पता |
| | टेलिफोन/मोबाईल नं. |
| 2. गवाह के हस्ताक्षर | |
| दिनांक | |
| नाम | |
| पूरा पता | |

ANNEXURE-2**DECLARATION FORM**

(To be submitted by candidate in the College at the time of admission)

FOR

Allotment of a Seat in State Autonomous/State Medical/Dental College in lieu of resignation from all India Quota Seat.

I. S/o, D/o
Jnbn Resident of Bearing Roll No..
have been placed at Rank Number in the National Eligibility Entrance Test (NEET) 2013 and
I had opted a Seat at College Course in the allotment, and have taken admission
there on dated

1(i) I am also selected in Madhya Pradesh Pre Medical Test-2013.

1(ii) I, the above named, hereby choose a seat at college in course from amongst the seats in Medical/Dental Colleges of M.P. available at my rank during this counselling for allotment and admission.

Following this allotment, I hereby resign from my All India quota seat of 2013. I shall have no claim on the seat allotted to me earlier at CollegeCourseConsequently, the same stands vacated by me with immediate effect.

OR

(iii) I, the above named reject the seats, made available to me at my rank for allotment and I will continue my studies at my earlier allotted College Course

Signature of the Candidate

Name

Rank No.

प्रारूप-3 मिलेट्री पर्सन संवर्ग (एम.पी.) हेतु प्रमाण पत्र

भाग (अ)

भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो
व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)
वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी
के पिता/माता है—

(अ) थल सेना/वायुसेना/नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक है, सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के समय वे
पद पर थे/थी उनका सर्विस क्रमांक था.

अथवा

(ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में पद पर सर्विस क्रमांक
के अधीन सेवा की है सेवा के दौरान वे स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं/ सेवा के दौरान उनकी मृत्यु
वर्ष में हो चुकी है.

स्थान

दिनांक

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

(कार्यालय सील)

प्रारूप-3
भाग (ब)

मध्यप्रदेश में/मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती जो
व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)
वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी
के पिता/माता है.

- (अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है. वे इस इकाई में दिनांक से सेवारत है.

अथवा

- (ब) उन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में के ओहदे पर सर्विस क्रमांक के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी है और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ है.

स्थान

हस्ताक्षर आफिसर कमांडिंग

दिनांक

.

(कार्यालय सील)

प्रारूप-3 भाग (स)

भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थायी रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)
. जो व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम)
. वर्ष के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)
. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार श्री/कुमारी
. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये उम्मीदवार से (स्थान)
तहसील जिला में व्यवस्थापित हो गये हैं.

स्थान

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनांक

.

(कार्यालय सील)

प्रारूप-4 भाग (अ)

स्थायी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग जिला
 मध्यप्रदेश
 पुस्तक क्रमांक प्रमाण पत्र क्रमांक प्रकरण क्रमांक

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम
 निवासी ग्राम/नगर वि. खं. तहसील
 जिला संभाग जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस
 जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में
 विनिर्दिष्ट किया गया है और यह जाति/जनजाति, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (संशोधन)
 अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक पर अंकित है. अतः श्री/श्रीमती/कुमारी
 पिता/पति का नाम अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी के परिवार की कुल वार्षिक
 आय रुपये है.

दिनांक

हस्ताक्षर
 प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
 पदनाम/सील

टिप्पणी.— (1) अनुसूचित जाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 341 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित
 जाति तथा अनुसूचित जनजाति का अर्थ है संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मध्यप्रदेश राज्य से संबंधित
 जनजाति.

यह प्रमाण-पत्र उपरोक्त में से किसी भी एक अधिकारी द्वारा नियत जांच एवं आत्म संतुष्टि के पश्चात् ही जारी किया जावे, न
 कि उम्मीदवार के अभिभावक द्वारा दिये गये शपथ-पत्र के आधार पर और न ही स्थानीय निकायों के सदस्यों द्वारा जारी किये गये
 प्रमाण-पत्र के आधार पर.

प्रारूप-4 भाग (ब)

**म. प्र. की अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले
 प्रमाण-पत्र का प्रारूप**

स्थाई प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री (परीक्षार्थी का नाम) आत्मज श्री
 निवासी/ग्राम जिला/संभाग मध्यप्रदेश के निवासी है,
 जो जाति के है, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग
 कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है.

श्री (पिता का नाम) और/या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला
संभाग में निवास करता है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री (पिता का नाम) क्रीमीलेयर (संपन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93 स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा म. प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-7-16/2000/1 आ. प्र. दिनांक 6 जुलाई, 2000 की अनुसूची अनुक्रमांक 6 आय/संपत्ति आंकलन भाग (क) संशोधित कालम (3) में किया गया है।

दिनांक

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम (सील)

प्रारूप-5 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग हेतु प्रमाण-पत्र

संदर्भ क्रमांक

दिनांक

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्मीदवार श्री (पिता) एवं श्रीमती (माता) के पुत्र/पुत्री हैं। श्री/श्रीमती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री. के/की वैद्य (Legitimate) पुत्र/पुत्री है

2. श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश के जिला (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पंजी (Register) में क्रमांक पर पंजीकृत है।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर : कलेक्टर
(कार्यालय की स्पष्ट मोहर)

प्रारूप-6

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप

प्रति,

नायब तहसीलदार/तहसीलदार
तहसील
जिला

विषय :-स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत.

महोदय/महोदया,

मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है. मेरे द्वारा संपादित शपथ-पत्र संलग्न है. यह निवेदन है कि मुझे मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र प्रदाय करने का कष्ट करें.

1. मेरा नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. जन्मतिथि :

4. निवास का पूरा पता मकान नं. मोहल्ला
 ग्राम/शहर का नाम
 तहसील जिला
- *5. मेरी पत्नी का विवरण नाम आयु वर्ष
- *6. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्रियों का विवरण
 (1) नाम पुत्र/पुत्री आयु वर्ष
 (2) नाम पुत्र/पुत्री आयु वर्ष
 (3) नाम पुत्र/पुत्री आयु वर्ष

संलग्न :—शपथ-पत्र

(मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्धदंड से दण्डनीय है).

हस्ताक्षर
 आवेदक का नाम (.)

*लागू न होने की स्थिति में काट दें/वर्णित न करें.

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार, टप्पा/तहसील जिला

पावती

श्री /श्रीमती के द्वारा प्रस्तुत स्थानीय निवासी का प्रमाण-पत्र का आवेदन
 आज दिनांक को प्राप्त हुआ.

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
 मय सील

प्रारूप-7

शपथ-पत्र

मैं, आत्मज/पति श्री आयु (लगभग)
 वर्ष शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ कि—

1. मैं, वर्तमान में में निवासरत हूँ.
- *2. मेरी पत्नी का नाम श्रीमती एवं उम्र (लगभग) वर्ष है.
- *3. मेरे अवयस्क पुत्र/पुत्री—
 (1) श्री/कु. आयु (लगभग). वर्ष
 (2) श्री/कु. आयु (लगभग). वर्ष
 (3) श्री/कु. आयु (लगभग). वर्ष

4. (यहां मध्यप्रदेश शासन के ज्ञाप क्रमांक सी-3/22/2010/3/1, दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 एवं 4 में वर्णित निर्देश के अन्तर्गत आवेदक पात्रता की निम्न में से जिन-जिन श्रेणियों में आता है उनका विवरण अंकित करें.)

- * (1) मैं, मध्यप्रदेश के मकान नं. मोहल्ला ग्राम तहसील.
 जिला में वर्ष में पैदा हुआ/हुई हूँ. मैंने संस्था
 ग्राम/शहर तहसील जिला में वर्ष
 से वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की है.

- [सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2(i) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरंतर कम से कम तीन वर्ष तक शिक्षा प्राप्त की हो, की पूर्ति करने की स्थिति में उपर्युक्तानुसार विवरण अंकित किया जाये. मूक, बधिर, अंधे तथा अशिक्षित व्यक्ति के प्रकरण में शिक्षण संस्था में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा].
- * (2) मैं, मध्यप्रदेश में ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील जिला में विगत 15 वर्ष से निवासरत हूँ.
[सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2(ii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निरन्तर निवासरत हो. यदि 15 वर्ष की अवधि में एक से अधिक स्थानों पर निवासरत रहे तो कब से कब तक कहां-कहां निवासरत रहे इसका पूर्ण विवरण अंकित किया जाये].
- * (3) मैं, मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से ग्राम/मोहल्ला शहर तहसील जिला में निरंतर निवासरत हूँ और मेरे नाम से ग्राम/शहर में सर्वे नं. रकबा भू-खण्ड/मकान है. मैं उद्योग/व्यवसाय करता हूँ. मेरा टिन नम्बर/पेन नम्बर है.
(सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (iii) के अनुसार आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरन्तर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सम्पत्ति धारित करता हो/उद्योग या किसी व्यवसाय को करता हो)
- * (4) मैं, राज्य शासन की सेवा में वर्तमान में पद का नाम कार्यालय का नाम विभाग का नाम के पद पर पदस्थ हूँ/ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ.
[सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर 2010 की कंडिका 2 (iv) के अनुसार].
- * (5) मैं, मध्यप्रदेश शासन के अन्तर्गत स्थापित नामक संस्था/निगम/मण्डल/आयोग में पद पर/ से कार्यालय में/ से सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हूँ.
[सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (v) के अनुसार कार्यरत/सेवानिवृत्त पद के नाम के साथ कार्यरत कार्यालय/जिस कार्यालय से सेवानिवृत्त हुये हैं उसका पूर्ण विवरण दें].
- * (6) मैं, केन्द्र शासन के विभाग में के पद पर कार्यालय तहसील जिला के पद पर वर्ष से पदस्थ होकर कार्यरत हूँ.
[सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vi) के अनुसार कार्यरत पद का नाम एवं कार्यालय का विवरण तथा पता].
- * (7) मैं, अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित (आवंटन वर्ष) अधिकारी हूँ. पद पर कार्यालय/मंत्रालय में पदस्थ हूँ से सेवानिवृत्त हुआ हूँ.
[सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (vii) के अनुसार कार्यरत / सेवानिवृत्त कार्यालय का पूर्ण विवरण कार्यरत पद का नाम].
- * (8) मैं, मध्यप्रदेश में संवैधानिक/विधिक पद (पदनाम) पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हूँ.
[सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 28 अक्टूबर, 2010 की कंडिका 2 (viii) के अनुसार पूर्ण विवरण दिया जाय].

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता.

सत्यापन

मैं आत्मज/पति श्री आयु वर्ष
निवासी सत्यापन करता/करती हूँ कि शपथपत्र की कंडिका लगायत में
उल्लेखित जानकारी मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है इसमें न कोई तथ्य छुपाया गया है और न ही असत्य तथ्य
अंकित किया गया है.

सत्यापन आज दिनांक को स्थान में किया गया.

हस्ताक्षर
शपथग्रहिता

*जो लागू हो केवल उसी का उल्लेख शपथ-पत्र में किया जाय.

प्रारूप-8

कार्यालय नायब तहसीलदार/तहसीलदार
टप्पा/तहसील जिला

प्र. क्र. /बी-121/वर्ष

दिनांक

स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र

यहां आवेदक का पासपोर्ट
साईज का फोटो लगाया जाए
जो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा
सत्यापित किया जाए.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु. पिता/पति निवासी
तहसील जिला (मध्यप्रदेश) राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र
जारी किये जाने के लिए प्रभावशील ज्ञाप दिनांक में निर्धारित मापदण्ड की कंडिका क्रमांक की पूर्ति
करने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी है.

*2. प्रमाणित किया जाता है कि मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक दिनांक
के अधीन आवेदक द्वारा दिए विवरण अनुसार आवेदक की पत्नी*/अवयस्क बच्चे* जिनका विवरण नीचे वर्णित है. मध्यप्रदेश के
स्थानीय निवासी है.

- | | | |
|-----|---------------------------------|--------------------------------|
| (1) | आवेदक की पत्नी का नाम | आयु वर्ष है. |
| (2) | आवेदक के अवयस्क पुत्र/पुत्री | (1). आयु. वर्ष |
| | | (2). आयु. वर्ष |
| | | (3). आयु. वर्ष |
| | | (4). आयु. वर्ष |

टीप :-यह प्रमाण-पत्र जाति निर्धारण के लिये जारी किये जाने वाले जाति प्रमाण-पत्र की जांच में साक्ष्य हेतु विचारार्थ ग्राह्य नहीं होगा.

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी)

ह. तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील
जिला

*जो लागू न हो काट दें.

प्रारूप-9 (अ) : बी.डी.एस. से एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन हेतु

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्राचार्य

.....
.....

(संबंधित दंत चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

विषय:— बी.डी.एस. से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बावत्.

मेरे द्वारा पी.एम.टी. 2013 में उत्तीर्ण होकर श्रेणी संवर्ग मेरिट क्र. के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ.

पी.एम.टी. 2013 के नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में बी.डी.एस. पाठ्यक्रम से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए पुनर्आवंटन चाहता/चाहती हूँ. अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें. मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है. इस बावत् भी पुष्टि करने का कष्ट करें.

हस्ताक्षर

नाम प्रार्थी

पिता/अभिभावक का नाम

कार्यालय प्राचार्य

(दन्त चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

दिनांक

संचालक

चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश, भोपाल.

श्री/कु. आत्मज इस दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में पी.एम.टी. 2013 की काउन्सिलिंग के आधार पर बी.डी.एस. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं. छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं, जो निम्नानुसार है:—

बी.डी. एस. पाठ्यक्रम से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है.

महाविद्यालय की सील
प्रिन्सिपल/प्राधिकृत अधिकारी
दन्त चिकित्सा महाविद्यालय

प्ररूप-9 (ब) : एम.बी.बी.एस पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन हेतु

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

प्राचार्य

.....
.....

(संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

विषय:— एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र बावत्.

मेरे द्वारा पी.एम.टी. 2013 में उत्तीर्ण होकर श्रेणीसंवर्ग मेरिट क्र. के आधार पर शासकीय काउन्सिलिंग में सीट आवंटित करवाकर आपके चिकित्सा महाविद्यालय में अध्ययनरत हूँ.

पी.एम.टी. 2013 के नियमानुसार मैं आगामी काउन्सिलिंग में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम के लिए पुनर्आवंटन चाहता/चाहती हूँ. अतः अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का कष्ट करें. मेरे मूल दस्तावेज आपके महाविद्यालय में जमा है. इस बावत् भी पुष्टि करने का कष्ट करें.

हस्ताक्षर

नाम प्रार्थी

पिता/अभिभावक का नाम

कार्यालय प्राचार्य

(चिकित्सा महाविद्यालय का नाम)

दिनांक

संचालक

चिकित्सा शिक्षा

मध्यप्रदेश, भोपाल.

श्री/कु. आत्मज इस दन्त चिकित्सा महाविद्यालय में पी.एम.टी. 2013 की काउन्सिलिंग के आधार पर इस संस्था में एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हैं. छात्र/छात्रा के मूल दस्तावेज इस महाविद्यालय में जमा हैं, जो निम्नानुसार है:—

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में पुनर्आवंटन किये जाने पर इस महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है.

महाविद्यालय की सील

प्रिन्सिपल/प्राधिकृत अधिकारी

चिकित्सा महाविद्यालय

आय प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र का प्रारूप 10-अ

प्रति,

तहसीलदार/नायब तहसीलदार,

.....
.....

विषय:— आय प्रमाण-पत्र जारी करने बाबत्

महोदय/महोदया

मुझे आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है. मेरे बारे में विवरण निम्नानुसार है:—

1. मेरा नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास का पूरा पता
4. संलग्न शपथ-पत्र अनुसार समस्त स्रोतों से मेरी/मेरे परिवार* की वार्षिक आय है.

[मुझे इस तथ्य का पूर्ण ज्ञान/जानकारी है कि शपथ-पत्र में असत्य तथ्य वर्णित करना भारतीय दण्ड संहिता (आईपीसी) की धारा 193 के अधीन तीन वर्ष तक के कारावास एवं अर्धदण्ड से दण्डनीय है].

हस्ताक्षर
आवेदक का नाम (.....)

(*परिवार से आशय पति/पत्नी एवं अवयस्क बच्चे हैं.)

कार्यालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार टप्पा/तहसील जिला

पावती

श्री/श्रीमती के आय प्रमाण हेतु आवेदन आज दिनांक को प्राप्त हुआ

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता
मय सील

प्रारूप 10-ब

कार्यालय तहसीलदार/नायब तहसीलदार

टप्पा/तहसील जिला

प्र. क्र. /बी-121/वर्ष

दिनांक

आय प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कु. पिता /पति निवासी.
..... तहसील जिला मध्यप्रदेश की/के परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय
रुपये (शब्दों में) है.

(आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र के आधार पर जारी).

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील जिला
सील

Appendix-11

No. U-14014/6/2001-ME (UG)
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, Dated the 1st August 2001

STATEMENT INDICATING THE NAMES OF BENEFICIARY AGENCIES AND
THE NUMBER OF MBBS/BDS SEATS ALLOTTED TO THEM FROM THE CENTRAL
POOL FOR THE ACADEMIC SESSION 2001-2002 IN THE STATE FOR MADHYA PRADESH

S. No.	Name of Medical/ Dental College	Place	Name of Beneficiary	No. of seats
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
M.B.B.S.				
1.	Gandhi Medical College	Bhopal	M/o Defence	2
			M. E. A. (M. S.)	1
			Nagaland	1
			Dadra & N. H.	1
			Mizoram	1
			Sikkim	1
2.	G. R. Medical College	Gwalior	Nagaland	3
			Sikkim	1
			Manipur	2
3.	M. G. Medical College	Indore	M. H. A.	1
			Daman & Diu	1
			Mizoram	1
4.	Medical College	Jabalpur	Tripura	2
			Maghalaya	2
			Arunachal	3
			I. C. C. W.	1
5.	S. S. Medical College	Rewa	J & K	2
			M/o Defence	1
			Total (MBBS)	27
B.D.S.				
1.	College of Dentistry	Indore	Dadra & N. H.	1
			Total (BDS)	1

S. K. RAO, Director (Medical Education).

CATEGORIES OF STUDENTS ENTITLED TO CENTRAL GOVERNMENT RESERVED SEATS FOR ADMISSION TO MBBS/BDS AND THE AUTHORITIES CONCERNED
[As per D. O. N. U., 14014/1/99-ME (UG) dated 11-1-99 from Government of India,
Ministry of Health & Family Welfare, New Delhi]

.Category	Authority of whom the application are to be sent
1. Students belonging to States/ Union Territories with no medical/ Dental College.	Health Secretary, State/Union Territory Government
2. Wards of Defence personnel	Liaison officer, Kendriya Sainik Board Ministry of Defence, West Block-IV, Wing No. 5, R. K. Puram, New Delhi-110 066.
3. Children of para-military personnel (i) For CRPF / BSF etc. personnel (ii) For SSB / R &AW /SFF etc. personnel	Ministry of Home Affairs FR-I Section, North Block, New Delhi-110001 Cabinet Secretariate EA-II, Section Bikaner House (Annexe) Shahjahana Road, New Delhi-110011
4. Children of Indian Staff serving in Indian Missions abroad.	Ministry of External Affairs Welfare Cell, Akbar Bhawan Chanakyapuri, New Delhi-110021
5. For meeting diplomatic / bilateral commitments.	Ministry of External Affairs, Student Cell, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi-110021
6. Tibetan Refugees	Ministry of Human Resource Development Department of Education, UT-2 Section A-2/W-4, Curzon Road, Barracks, New Delhi-110001
7. National Bravery Award Winning Children.	Indian Council for Child Welfare, 4-Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi-110002.

परिशिष्ट- 13

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-5-13-2002-पचपन-चिशि-1

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2001

प्रति,

संचालक,
चिकित्सा शिक्षा,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

विषय.—लक्ष्यदीप के विद्यार्थियों को मेडिकल कॉलेज कृषि, कृषि अभियांत्रिकी एवं पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सीटों का आरक्षण.

शासन द्वारा लक्ष्यदीप के छात्रों को वर्ष 2001 के बाद के शैक्षणिक सत्र से मेडिकल कालेज में एम. बी. बी. एस. कोर्स के लिये एक सीट आरक्षित की जाने का निर्णय लिया गया है.

तदनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु कार्यवाही की जाना सुनिश्चित करें.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. राय,
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. एफ-5-13-2002-पचपन-चिशि-1

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2001

प्रतिलिपि —

1. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल/रीवा/जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.

डी. एस. राय,
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग.

बंध-पत्र

रुपये 250/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे

मध्यप्रदेश के चिकित्सा / दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले बंध-पत्र का प्रारूप

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय
में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूं.

2. मैंने मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के मेडिकल तथा डेंटल स्नातक प्रवेश परीक्षा नियम, 2013 को भली-भांति पढ़कर समझ लिया है.
 3. मैं सामान्य/आरक्षित श्रेणी की / का छात्रा / छात्र हूं.
 4. मैं एतद्वारा यह बन्ध-पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूं कि—
- अ.
- मैं चिकित्सा / दंत चिकित्सा स्नातक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्देशित स्थानों में विहित की गई अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी / करूंगा.
 - यह कि उपरोक्तानुसार शासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर विहित अवधि के लिए चिकित्सा सेवा करना मेरे लिए बंधनकारी रहेगा.
 - मैं निम्न बातों के लिए अपनी सहमति प्रदान करती/करता हूं:—

- (1) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों/अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूंगी/रहूंगा.
 - (2) यह कि, विहित अवधि स्नातक पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष की शासकीय सेवा शासन द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर न करने की स्थिति में, मैं शासन को अनारक्षित वर्ग हेतु रु. 5.00 लाख (रुपये पांच लाख मात्र) एवं अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु रु. 3.00 लाख (रुपये तीन लाख मात्र) का भुगतान करने का वचन देती / देता हूं.
 - (3) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे.
- द. यह कि, इस बन्ध-पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश मेडिकल कौंसिल में किया गया मेरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा.

गवाह :—

1.
2.

हस्ताक्षर आवेदक

प्रतिभूतिकर्ता

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी उपरोक्तानुसार बन्ध-पत्र में उल्लेखित राशि मेरी चल व अचल संपत्ति से
वसूली की जा सकेगी.

हस्ताक्षर
आवेदक

गवाह :—

1.
2.

मध्यप्रदेश के निजी चिकित्सा महाविद्यालय

क्र.	नाम	कुल स्वीकृत सीट्स	स्टेट कोटा	डीमेट कोटा	एन. आर. आई.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पीपुल्स कालेज ऑफ मेडिकल साइन्स एण्ड रिसर्च सेन्टर भानपुर, भोपाल.	150	63	64	23
2	श्री अरविन्दो इस्टाट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्स, इन्दौर.	150	63	64	23
3	आर. डी. गार्डी मेडिकल कालेज, उज्जैन.	150	63	64	23
4	इन्डेक्स मेडिकल कालेज, इन्दौर	150	63	64	23
5	एल. एन. मेडिकल कालेज, भोपाल	150	63	64	23
6	चिरायु मेडिकल कालेज, भोपाल	150	63	64	23
योग . .		900	378	384	138

नोट.—उपरोक्त संस्थाओं को भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रवेश सत्र 2013-14 में प्रवेश हेतु अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही काउंसलिंग हेतु शामिल किया जा सकेगा जाकर स्टेट कोटे से भरे जाने हेतु निर्देश दिए गए हैं.

2. सीटों की संख्या परिवर्तनीय है.

मध्यप्रदेश के निजी डेन्टल कालेज

क्र.	नाम	सीट संख्या	स्टेट कोटा	डीमेट कोटा	एन. आर. आई.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	पीपुल्स डेन्टल अकादमी, भानपुर, भोपाल	100	42	43	15
2	पीपुल्स कालेज ऑफ डेन्टल साईन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर भानपुर, भोपाल.	100	42	43	15
3	श्री अरविन्दो इंस्टीट्यूट ऑफ डेन्टल साईन्सेस, इन्दौर.	100	42	43	15
4	ऋषिराज कालेज ऑफ डेन्टल साईन्सेस एण्ड रिसर्च सेन्टर, भोपाल.	100	42	43	15
5	गुरु गोविन्द सिंह कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्स बुरहानपुर.	100	42	43	15
6	कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्स राउ इन्दौर	60	25	26	09
7	मार्डन डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, इन्दौर.	100	42	43	15
8	हितकारणी डेन्टल कॉलेज, जबलपुर	60	25	26	09
9	आर. के. डी. एफ. डेन्टल कालेज एण्ड रिसर्च सेन्टर, भोपाल.	100	42	43	15
10	मानसरोवर डेन्टल कॉलेज, भोपाल	100	42	43	15
11	महाराणा प्रताप कालेज ऑफ डेन्टल साईन्स, ग्वालियर.	100	42	43	15
12	इंस्टीट्यूट ऑफ डेन्टल एज्युकेशन एण्ड एडवांस स्टीडीस, ग्वालियर.	100	42	43	15
13	भाभा कॉलेज ऑफ डेन्टल साईन्स, भोपाल	100	42	43	15
14	इंडेक्स डेंटल कॉलेज, इन्दौर	100	42	43	15
योग . .		1320	554	568	198

नोट.—उपरोक्त संस्थाओं को भारतीय दंत परिषद् द्वारा प्रवेश सत्र 2013-14 में प्रवेश हेतु अनुमति दिये जाने के पश्चात् ही काउंसलिंग हेतु शामिल किया जा सकेगा.

2. सीटों की संख्या परिवर्तनीय है.

**MADHYA PRADESH GOVERNMENT AUTONOMOUS
MEDICAL AND DENTAL UNDERGRADUATE
ENTRANCE EXAMINATION RULES-2013**

Bhopal the 10th May 2013

No. F-5-58/2013/1/LV.—The State Government hereby makes following rules for admission to under graduate Medical and Dental Courses in the State Autonomous/State Medical & Dental Colleges, namely:—

RULES

1.0 **TITLE.**— These rules may be called as “Madhya Pradesh Government Autonomous/Government Medical and Dental Undergraduate Entrance Examination rules 2013”. These rules will be effective from their publication in the “Gazette of Madhya Pradesh” and applicable for academic year 2013-14.

2.0 **DEFINITIONS.**— In these rules, until the context otherwise indicates;

- 2.1 “Board” means the Madhya Pradesh Professional Examination Board (PEB);
- 2.2 “College” means Government Autonomous/Government Medical/ Dental College under the State Government.
- 2.3 “Entrance Examination 2013 or PMT 2013” meaning there by that within these rules the Entrance Examination conducted by Madhya Pradesh Professional Examination Board (PEB / VYAPAM).
- 2.4 “State Government” means Government of Madhya Pradesh.
- 2.5 “Category” means Scheduled Tribe, Scheduled Caste, Other Backward Classes, and Unreserved category as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh.
- 2.6 “Class” means Military Personnel (M.P.), Freedom Fighter (F.F.), as specified and laid down by Government of Madhya Pradesh. Physically Handicapped (PH) means as specified and laid down by Ministry of Labour, Government of India for vocational Rehabilitation of Physically Handicapped.
- 2.7 “Selected Candidate” means such candidates who has been allotted a seat and issued the allotment letter in 2013-14 consequent up on counselling.
- 2.8 “M.C.I.” means Medical Council of India.
- 2.9 “D.C.I.” means Dental Council of India.
- 2.10 “Rules” means Madhya Pradesh Government Autonomous /Government Medical and Dental Government under graduate Entrance Examination Rules, 2013.

3.0 **GENERAL.**—(i) Admission in MBBS and BDS courses shall be governed and regularised by rules & regulations of MCI / DCI / University / State Government / Government of India / under the rules and regulations in force at the time of entrance examination, allotment and admission and amended from time to time.

(ii) These rules shall apply to all candidates for entrance examination, allotment and admission in the following courses and colleges :—

1. M.B.B.S. Course: Government Autonomous Medical College, Bhopal, Gwalior, Indore, Jabalpur, Rewa and Sagar.
 2. B.D.S. Course : Government Autonomous Dental College, Indore
- 3.1 (1) The candidates are advised to read the rule book thoroughly before filing the application form, after understanding the rules clearly they must enter correct and required information. If incomplete documents are enclosed the allotment letter will be cancelled.
- (2) The candidates must bring the same color photograph at the place of scrutiny and allotted institution at the time of admission which, he/she has attached in on line application form sent to VYAPAM/Board.

- (3) The color Photograph of the candidates should bear his/her name and the date on the front at the lower part alongwith with both ear should be visible and chin should be straight. The Size of Photograph 3.5 cm (breadth) X 4.5 cm (length). The face should be clearly visible. adequate No. of same Photograph should be available. (Approximately 20 Photographs).
- (4) The Photograph should not be older than three months from the date of entrance examination.
- (5) There should be no discrepancy in the Photograph else the candidate will not be eligible for the allotment of seat and admission.
- (6) At the Time of Scrutiny and admission the candidate should furnish correct information. The candidate should put his full and same signature at the time of entrance examination, scrutiny and at the time of admission in the allotted collage. If the signature differs the candidate will not have any right for allotment of seat/admission.

3.2 If it is found that a candidate has hidden any relevant facts and / or provided incorrect information while filling up the application form, at the time of scrutiny of the documents, at the time of allotment of a seat, or at the time of his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Dean / Principal of the college, at any time during his/her studies.

3.3 Students found guilty of misconduct, indiscipline and absence of more than one month continuously without information would be liable to disciplinary action including EXPULSION from college by the Dean / Principal and CANCELLATION OF REGISTRATION by the University.

3.4 The examination shall be held at the centre fixed by the Board. Centre once allotted shall not be changed. The candidate shall abide by the rules and regulation of the Board failing which his / her candidature will be **CANCELLED**.

4.0 AVAILABILITY OF SEATS.—The seats available in M.B.B.S. and B.D.S. courses are shown college wise in table number 1 to 3 The sanctioned seats of Government Autonomous Medical Colleges and Government Dental College shall be filled in accordance with the reservation policy of the State Government and shall be filled up by selected eligible candidates of PMT 2013 Entrance Examination through counselling.

- 4.1 Fifteen percent seats are available for ALL INDIA CANDIDATES selected on the basis of National Eligibility Entrance Test-2013 (NEET) for admission to M.B.B.S. / B.D.S. course in autonomous colleges conducted by Central Board of Secondary Education in liaison with Director General Health Services, Government of India.
- 4.2 Twenty seven seats are available in Autonomous Medical Colleges and one seat in Autonomous Dental College for Government of India NOMINEES. (See appendix -11-12) and one Unreserved seat is available in Medical College, Bhopal for students of Lakshya Deep (See appendix-13).
- 4.3 The Government of India Nominees are exempted from entrance examinations, however, they shall be required to fulfill academic eligibility as described in rules 6.2 and 6.3.

5.0 RESERVATION.— 20% Seats are reserved for candidates belonging to scheduled tribe, 16% to scheduled caste and 14% to other backward classes. Excluding creamy layer. The remaining seats are available for Unreserved Category Candidates.

- 5.1 Three percent (3%) seats are reserved for admission to M.B.B.S. / B.D.S. courses for Physically Handicapped who are bonafide residents of Madhya Pradesh and belong to ST, SC, OBC and Unreserved category. This Reservation shall be horizontal.

As per MCI Notification No. सं. भा. आ. प. -34 (41) 2008 -मेडि./54469 दिनांक मार्च, 2009, Firstly, the seats will be filled up from Candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%. In case of non availability of candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% then such unfilled seats shall be filled up by persons with locomotory disability of lower limbs between 40% and less than 50%. In case of non availability of reserved candidates as per the above mentioned reservation these seats will be filled by other candidates of same category.

The VYAPAM will prepare separate merit lists on the basis of disability percentage of 50% to 70% and 40% to less than 50% and the result announced by VYAPAM. On the basis of these merit lists allotment of handicapped quota seats will be done. In case of equal marks of candidates in either merit list, the priority will be given to the candidate who is elderly to others on age basis.

Candidate claiming admission against these seats shall have to produce a certificate, in the prescribed form, from District Medical Board and an eligibility certificate, from Superintendent Vocational rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Government of India, Ministry of Labour, Napier Town, Jabalpur. Both the certificates are necessary to be produced at the same time during the scrutiny else, the candidate will not be eligible for counseling. The eligibility certificate should not have been issued more than 3 months before the date of scrutiny.

Note.—At the time of Counselling physically handicapped candidates have to produce information regarding issue number & date of issue of the certificate issued by Vocational Rehabilitation Centre for Physically handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour, Napier Town, Jabalpur. Therefore it is compulsory to have the said certificate.

Following categories of handicapped will not be eligible for admission as per the instructions of MCI :—

- (A) Handicapped by hand/hands
 - (B) Handicapped by eyesight
 - (C) Deafness
 - (D) Handicapped of legs more than 70%
- 5.2 **3% seats are reserved** for admission to M.B.B.S./ B.D.S. course for Children of **Military Personnel (MP) belonging to ST, SC, OBC and UR categories. Such** reservation shall be horizontal.
- 5.2.1 Under Military Personnel (MP) Categories, Seats are reserved for sons/daughters of the Military Personnel (MP) class which includes Ex-Military Personnel who have served as defence employee, serving defence employee and those defence employees who died during service or who became permanently disabled during service.
- 5.2.2 Ex-Military personnel means a person who falls in the definition of Ex-Military personnel, as per directions issued by the Ministry of Defense, Government of India.
- 5.2.3 A candidate claiming admission on account of being a son/ daughter of a military personnel who died during service or son/daughter of a military personnel who became permanently handicapped during service will have to produce a certificate of his / her father / mother as per Proforma No. 3(a).

OR

A candidate claiming admission on account of being a son/daughter of an Ex-military personnel will have to produce the certificate of his/her father/mother being an Ex-Military

person and a certificate of his/her father/mother having settled in Madhya Pradesh from District Military Welfare Officer of concerned district, as per Proforma no. 3 (a) and 3(c).

OR

He/She is son / daughter of a defence employee posted in the Madhya Pradesh outside of Madhya Pradesh who is bonafied domicile of Madhya Pradesh. Such candidate shall have to produce a certificate to the extent that his / her father / mother is a bonafied resident of Madhya Pradesh and certificate that his/her father/mother is a military personnel as per proforma no. 3 (b).

OR

He / She is son/daughter of a defence employee posted in Madhya Pradesh before first January of the year of entrance examination. Such Candidates shall have to produce a certificate of the extent that his/her Father/Mother is a defence employee posted in Madhya Pradesh before first January of the year of entrance examination.

Note : In case of any dispute regarding the eligibility of a candidate belonging to Military Personnel class the decision of Director Military Welfare, Madhya Pradesh shall be final and binding.

5.3 For legitimate son/daughter or grand son/daughter of a Freedom Fighter (FF) who are **bonafide residents of Madhya Pradesh belonging to ST, SC, OBC and UR category 3% seats are reserved for admission to M.B.B.S. /B.D.S. course Reservation shall be horizontal.**

5.3.1 **Freedom Fighter (FF) is a person whose name is registered in the list kept in collectorate of the concerned District of Madhya Pradesh.**

5.3.2 Candidate applying for admission under Freedom Fighter (FF) class shall have to produce a **certificate, from the Collector of concerned district of Madhya Pradesh. (Proforma-5)**

No other documents will be considered as a proof of belonging to Freedom Fighter (FF) class.

5.4 30% seats for admission to MBBS/BDS course shall be reserved for Female candidates in each category i.e. ST/SC/OBC and UR category. The reservation shall be horizontal.

5.5 A candidate not willing for admission in any class (MP,FF,PH,) can apply in open class of his/her OWN CATEGORY.

5.6 A candidate can apply for reservation under only one category and in its class of his/her choice. The reserved category candidates must produce permanent caste certificate issued by competent authority of Govt. of M. P. in prescribed proforma. He/She will not be Eligible for reservation if fails to produce the permanent caste certificate. The sole responsibility will be of the candidate. The Caste certificate should bear issue No., Dispatch No., date, Name and designation and seal of the issuing Officer else it will not be accepted (Proforma 3B 4A, 4B which ever is applicable).

6.0 **Eligibility.—**

6.1 The candidate must be bonafide resident of Madhya Pradesh. Candidate born in M. P. and studied for three years continuously in any educational institution of M. P.

OR

Who is son/daughter of any of the following, will also be considered as domicile of Madhya Pradesh and it is compulsory to produce the Madhya Pradesh Bonafide Resident certificate of the candidate issued by the Competent Authority.

- (1) Living in M. P. continuously since not less than 15 years.
- (2) Living in M. P. continuously since last 10 years and having immovable property in Madhya Pradesh/Industry/Business in M. P.
- (3) An employee or retired employee of Government of Madhya Pradesh.
- (4) An employee or retired employee of a Institution/Corporation/Board/Commission under Government of Madhya Pradesh.
- (5) An employee of Government of India who is posted in Madhya Pradesh in since last 10 years.
- (6) An Officer of All India services belonging M. P. cadre.
- (7) A person appointed in Madhya Pradesh by Hon'ble President of India/Governor of M. P. under Constitutional/Legal grounds.

Explanation-1: Certificate regarding bonafide resident of M.P. must be issued by the Collector or an officer authorised by the collector of the district concerned. The certificate must show reference number, date of issue, seal designation of issuing Officer. (Proforma-8)

Explanation-2: Guardian of a candidate means a person who is actual custodian and controller of candidate or his/her immovable property or both, in the opinion of the District Magistrate concerned, from the date of the death of candidate's father and mother till the date of submitting application form,. Guardian will have to necessarily produce a certificate of the competent court, saying so. If the father of the candidate is not alive and the mother is alive then only mother will be considered as a natural guardian of the candidate. None else will be recognized as a guardian.

Explanation-3: Regarding M. P. bonafide resident certificate directive has been issued by General Administration Department Govt. of M. P. circular No. C/3/22/2010/3/1, dt. 28-10-10. Accordingly candidates have to produced bonafide resident certificate in the valid proforma after 28-10-10. The valid domicile certificate issued by the Collector of M. P. before 28-10-2010 shall be accepted.

6.2 For admission to MBBS/BDS course, only those candidates are eligible, who have passed the qualifying examination of Higher Secondary (10+2) from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal. passing Physics, Chemistry and Biology subjects individually and have secured at least minimum 50% marks in aggregate of Physics, Chemistry & Biology subjects in case of Un-reserved category and 40% marks in case of reserved category candidates. Reserved category candidates who opt for unreserved seat should secure 50% marks in Higher Secondary (10+2) (qualifying examination) in aggregate of Physics, Chemistry & Biology subjects and passing in these subject separately and also 50% marks in entrance examination PMT 2013.

Candidates of all categories and classes are required to have passed ENGLISH as a subject in the 12th (Higher Secondary) examination of 10+2.

OR

The candidates have passed an equivalent or higher examination from any recognized Board or higher or equivalent examination conducted by University certified by School Education Department, Government of Madhya Pradesh with passing Physics, Chemistry and Biology subjects individually. For foreign nationals seeking admission, eligibility shall be considered on the basis of equivalence certificate granted to them by concerned Board/University and approved by the External Affairs Ministry, Government of India.

Candidate of all categories and class are required to have passed ENGLISH as a subject in the 12th (Higher Secondary) examination of 10+2.

- 6.3 No candidate shall be allowed to be admitted to a Medical/Dental College until the candidate has completed or shall complete the age of 17 year on or before 31 December of the year of examination.

For reckoning the age as aforesaid, the date of birth as mentioned in the certificate of High School/ Higher Secondary School certificate examination or in MARK-SHEET of the said examination shall be the authentic documentary proof.

The evidence in support of proof of age may be considered if a candidate who otherwise satisfies the domicile requirements and who on account of being with his/her parents in a foreign country passes examination abroad, certified by the School Education Department of Government of Madhya Pradesh as equivalent to Higher Secondary School Certificate examination in Madhya Pradesh.

- 7.0 **FEE STRUCTURE** - Every candidate shall have to regularly pay fee as shown in table number 4.

7.1 **SECURITY DEPOSIT—**

- 7.1.1 For admission in Govt. Autonomus Medical/Dental Colleges at the time of counselling, the candidate of unreserved category has to pay security money Rs. 10,000/- OBC candidate and candidate belonging to SC/ST category, whose parents/Guardians annual income is more than 3.00 lakhs have to pay Rs. 2,000/- towards the security deposits.

- 7.1.2 The candidates belonging to SC & ST Category whose parents/guardian's annual income is less than Rs. 3.00 lakhs need not to pay any security deposit. The candidates has to produce income certificate in this regard.

- 7.1.3 It is mandatory for all candidates belonging to reserved categories to produce income certificate of current financial year, at the time of admission in college [Proforma-10, (a) 10-(b)

Tahsildar/Ad. Tahsildar/Naib Tahsildar are authorized to issue income certificate in their jurisdiction vide M. P. Government GAD circular No.C/3-11/1/3/10, dated 7 Sept. 2010.

The income certificate issued in the enclosed proforma will only be accepted. The Application and proforma for income certificate is enclosed (Proforma 10).

- 7.1.4 Candidates of OBC Category must produce income Certificate of 2012-13 for deciding status of Creamy layer. Candidates classified in Creamy layer will not be eligible for reservation in OBC Category. Such candidates shall be considered in UR Category.

- 7.2 **The amount of security deposit shall be refunded without any interest after successful completion of internship. In case, the candidate does not join the allotted course or the institution or discontinues study in a course and leaves college before completion of internship due to any reason, his/her claim on security deposit shall be forfeited.**

- 7.3 **FEE REFUND.**—A Student admitted in U.G. Course through All India Quota or State Quota, and who submits, in writing, for leaving that seat, to his respective college authority, before 10 days of the last counselling, shall be intitled refund of the deposited fee after deducting 10% fee. No Application for such refund will be entertained after the said period and only caution money will be refunded. This will equally be applicable for the candidates taking admission in the State and out side the State.

- 7.4 In case of change of seats due to reallocation of seats, the candidate admitted through State entrance examination PMT examination, the fees will be transferred from one institute to another institute.
- 8.0 **EXAMINATION.**—The Entrance Examination shall be conducted in ENGLISH AND HINDI medium. Only one examination will be conducted for Govt. Autonomous & Private Colleges. The Candidates can give is option as under :—
- Govt. Autonomous Medical/Dental College
 - Private Medical & Dental Colleges
 - Both
- 8.1 **There shall be only one paper (multiple choice) of three hours duration. First part of this Paper will contain hundred multiple choice questions of the Physics and Chemistry subjects and the second part will contain hundred multiple choice question of the Botany and Zoology subjects.**
- 8.2 **VALUATION OF ANSWER SHEETS.**—ONE mark shall be awarded for one correct answer. No Marks shall be awarded for an incorrect response or multiple markings or for an Un-answered question.
- 8.3 **DECLARATION OF RESULT.**—The Board shall conduct the examination and evaluate the answer sheets. Thereafter, the result will be declared along with the publication of the merit list. The allotment of Course/Institution will be made by online counselling to the eligible candidate on the basis of merit cum option. The detail information regarding online counselling will be issued separately.
- The allotment of a seat to an eligible candidate in the course and college shall be done by Counselling on merit-cum-option basis.
- 8.4 **Merit List.**— (1) A merit list of all successful candidates shall be declared by Vyapam/ Board which shall consist of all successful candidates of the unreserved category who have secured not less than 50% marks in PMT entrance examination 2013 and who have passed qualifying examination Higher Secondary (10+2) passing Physics, Chemistry & Biology subjects separately and have secured at least minimum 50% marks aggregate Physics, Chemistry & Biology subjects 50% marks in qualifying examination (10+2) in aggregate of Physics, Chemistry & Biology subjects and passing these subjects separately and 50% marks in PMT 2013 are necessary for reserved category candidates also if they opt a seat from unreserved category.
- The separate merit list of all reserved category (Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other backward Classes) candidates will be prepared who have secured not less then 40% marks in P.M.T. entrance examination 2013.
 - Candidate of all categories and classes are required to have passed English as a subject in the Higher Secondary (10+2) examination.**
 - Separate merit list of FF & MP class of each category will also be prepared.
 - Two separate merit lists of PH candiatate category wise will also be parted according to rule No. 5.1
 - There will be no waiting list.

NOTE.— Vyapam will prepare a merit list of unreserved category including FF/MP & PH in the merit list. In the merit list of reserve category also FF/MP & PH will be included.

8.5 **Inter-Se-Merit.**—In case when two or more candidates obtain equal marks in the entrance examination, the inter-se-merit of such candidates shall be determined on the basis of their age.

A candidate, who is older, shall be senior in merit.

9.0 **COUNSELLING.**—9.1 The allotment of seats will be done through on line counselling. The detail information regarding.

Counselling will be issued separately. **The programme for counselling shall be advertised in the leading Newspapers of the State. Separate call letters will not be sent. The Schedule of Entrance Examination Counselling and details of the starting of Academic Session 2013-14 is shown in the Rule 12.1**

9.2 The time schedule for completion of the admission process for Medical and Dental Courses has been fixed by the Government of India in pursuance of directions given by Hon'ble Supreme Court of India in its Judgement dated 11-9-2002 in case of MCI Vs. Madhu Singh.

The said fixed time schedule for 2013-14 session is mentioned in rule 13.

9.3 Candidate's name should appear same in all the related documents i. e. mark sheet, certificates and other documents.

9.4 **A candidate admitted to UG course in Government autonomous/Government Medical/Dental college in Madhya Pradesh through All India Entrance Examination 2013 and also got selected in M.P. PMT Examination 2013 is eligible to participate in Counselling scheduled for selected candidates of M.P. PMT, Examination 2013. However, he/she shall have to resign from All India seat in case he/she is ammission a seat in such Counselling for M.P. P.M.T. Examination 2013 (Annexure-2).**

9.5 The number of seats from All India quota made available to the State shall be distributed in all the categories in the same ratio as prescribed for State Quota seats as per reservation policy of M. P. State Govt. and these seats shall be distributed to the course and college at the time of counselling.

9.6 A Candidate admitted to MBBS/BDS course on the basis of previous year's PMT examinations, if succeeds in the present examination PMT 2013 shall have to submit all the original documents with completed proforma-1 and 1(a) or photocopies there of together with a certificate of the Dean/Head of the institution certifying that such certificates are in his custody (showing list) and no objection certificate produced from Dean/Principal (Proforma-9 (a) On allotment of a seat the candidate shall have to present all the original documents to the authorities of the allotted college, else his/her admission will be treated as cancelled.

10.0 **ADMISSION.**— Consequent upon a candidate's allotment for a subject course and a college by Counselling, he / she shall report on the notified date and time to the Dean / Principal of the College concerned.

10.1 The College Admission Committee consisting of Dean / Principal, two Professors and at least two Medical Teachers belonging to reserved category shall also verify the original documents. If found eligible, he/she shall be given admission in a course and the college allotted to the candidate.

- 10.2 A candidate once admitted, either through All India Entrance Examination 2013 or State PMT 2013, all his/her original certificates shall be kept in custody by the college and a certificate to that effect will be issued to him/her by the college authorities.
- 10.3 Original documents shall be returned to the bonded candidate on completion of their Course internship only as per prevailing directives of the Government of Madhya Pradesh. Original documents shall be returned to the candidates who are not bonded only on completion of this course, internship or accepting their resignation on leaving from the course and the college due to some reason.
- 10.4 The candidates shall have to undergo TEST FOR MEDICAL FITNESS and shall be admitted only if they are found MEDICALLY FIT.
- 10.5 The NRI seats for admission in the State Autonomous/State Medical/Dental Colleges of the State have been shown in Table- 1 . The admission rules are given seperately for NRI seats.

11.0 **EXECUTION OF A BOND.**—A candidate admitted to MBBS/BDS course shall have to execute a BOND that he/she after completion of internship shall serve the Government of Madhya Pradesh for a specified period at a place specified by the State Government.

Bond Value will be Rs. 5.00 lacs for student of Un-reserved category and Rs. 3.00 lacs for student of ST, SC and OBC (except creamy layer) category candidate. (Proforma-14)

12.0 The academic session shall commence from 01-08-2013. Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason is 30-09-2013

12.1 SCHEDULE FOR ADMISSION PROCESS FOR THE YEAR 2013:—

- | | | | |
|----|---|---|----------------|
| 1. | First counselling | - | By July 2013 |
| 2. | Commencement of Academic Session. | - | By 01.8.2013 |
| 3. | Second Counselling | - | By August 2013 |
| 4. | Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason. | - | 30-09-2013 |

Note.—1-As per the order dated 11-09-2002 of Hon'ble Supreme Court in Madhu Singh Vs MCI, no admission shall be made, in any condition, beyond 30th September of the concerned year. After 30-09-2013 the admission process will come to an end, irrespective of any vacancy.

In case of any further directions or judgement passed by Hon. Supreme Court necessary procedure shall be followed accordingly.

- 2- As given in Rule 12.1 a detailed programme of the counselling will be advertised in the leading News papers of the State or any change in the programme shall also be advertised in the news papers besides uploading the same information on the website www.medicaleducation.mp.gov.in

13. The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. In case, any dispute related to the interpretation of these rules and amendments thereto, the decision of the State Government shall be final and binding on all concerned.

PMT-2013

ALL INDIA COMMON ADMISSION TEST
FOR
ADMISSION TO UNDER GRADUATE (MBBS/BDS) COURSES IN PRIVATE DENTAL AND
MEDICAL COLLEGES OF MADHYA PRADESH

BY

DEPARTMENT OF MEDICAL EDUCATION
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH, BHOPAL (M.P)

Tel: 0755-2551719, 2550186, Fax-0755-2551719
Website-www.mp.gov.in/medicaleducation

Medical Education Department
Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal

No. F 5-58-2013-1-LV.— In exercise of the powers conferred by Section 12 of the Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007), the State Government hereby makes the following rules relating to entrance to under Graduate Medical (MBBS) & Dental (BDS) Courses in Private Unaided Medical and Dental Colleges in the State of Madhya Pradesh .

RULES

1. **Short title and Commencement.**—(1) These rules may be called the “Madhya Pradesh Private Medical and Dental Under Graduate Course Entrance Examination Rules, 2013”.

(2) The shall come into force from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette and shall remain in force for the academic year, 2013-14.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Act” means Madhya Pradesh Niji Vyavsayik Shikshan Sanstha (Pravesh Ka Viniyaman Avam Shulk Ka Nirdharan) Adhiniyam, 2007 (No. 21 of 2007);
- (b) “Board” means the Madhya Pradesh Professional Examination Board;
- (c) “College” means **Private** unaided Medical **or** a Dental College in the State of Madhya Pradesh;
- (d) “Examination” means the Entrance Examination conducted by the Madhya Pradesh Professional Examination Board.

- (e) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (f) "Scheduled Castes" means Scheduled Castes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (g) "Scheduled Tribes" means Scheduled Tribes as specified and laid down by the Government of Madhya Pradesh;
- (h) "Government" means Government of Madhya Pradesh;
- (i) "MCI" means Medical Council of India;
- (j) "DCI" means Dental Council of India;
- (k) "Admission and Fee Regulatory Committee" means the Committee constituted by the State Government under the Act for the supervision and guidance of admission process and for the fixation of fee to be charged from candidates seeking admission in a professional educational institution;
- (l) "Competent Authority" means any Authority as authorized by the State Government in this behalf ;
- (m) "NRI" means Non-resident Indian shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) of Section 115 C of the of Income Tax Act, 1961 (43 of 1961).

3. **General.**—(i) Under Graduate Courses in MBBS and BDS shall be governed and regularised by MCI / DCI / University / the College/ State Government / Government of India / under the rules and regulations in force at the time of entrance examination, allotment, admission and amended from time to time.

(ii) These rules shall apply to all colleges & candidates for entrance examination, allotment and admission in the following courses and colleges :—

- A. M.B.B.S. Course of Private unaided Medical Colleges in the State of M.P.
- B. B.D.S. Course of Private unaided Dental Colleges, in the State of M.P.

- 3.1 **Correct information must be furnished and produced whenever required. Before filling up the on line application form the candidates are advised to read and understand the rule book thoroughly and then fill up complete, correct and required information and must enclose required documents, failing which applicant shall not be entitled to entrance examination, allotment and admission.**
- 3.2 **If it is found that a candidate has hidden any relevant facts and / or provided incorrect information while filling up the on line application form, at the time of allotment of a seat, at the time of scrutiny of the documents or at the time of his / her admission, then the admission shall be cancelled by the Dean / Principal of the college, at any time during his/her studies.**
- 3.3 **Students found guilty of misconduct, indiscipline and absence would be liable to disciplinary action including EXPULSION from college by the Dean / Principal and CANCELLATION OF REGISTRATION by the University.**

- 3.4 The examination shall be held at the centres fixed by the Board. Centre once allotted shall not be changed. The candidate shall abide by the rules and regulation of the Board failing which his / her candidature will be **CANCELLED**.
- 3.5 A candidate once allotted and/or admitted to M.B.B.S. course shall not be entitled to change the course on any ground.
- 3.6 The allotment of seats will be done through counselling. The detail instructions regarding counselling will be issued separately.

4. Availability of seats.—As per Hon'ble Supreme Court order in 1.A.60-61, dated 1-10-2012 50% seats will be filled by State. College wise list of seats available in M.B.B.S. and B.D.S. courses are shown in table number 1.

- 4.1 Every candidates must abide by the admission rules of **BOARD** and he/she has to deposit the prescribed examination fee.
- 4.2 All disputes related to Counselling to Under Graduate courses of Private unaided Medical/Dental Colleges will be decided by the Counselling Committee.
- 4.4 All disputes related to Admission of Under Graduate Courses of Private Unaided Medical & Dental Colleges will be decided by Admission & Fee Regulatory Committee.

5. Reservation.—Every Institution shall be allowed to fill up to 15% of the sanctioned seats by NRI candidates only, in the manner prescribed by the admission and Fee Regulatory Committee. These NRI seats shall be filled up through a separate Counselling. **NRI Seats remaining vacant shall be merged into the Counselling of Non NRI Candidates, as per Hon'ble Supreme Court order in Civil Appeal No. 8429-8430/2010, dated 30-9-2010.**

20% Seats are reserved for candidates belonging to Scheduled tribes of M.P., 16% seats to Scheduled castes of M.P. and 14% seats to Other Backward Classes other than creamy layer of OBC of **Madhya Pradesh** or as amended from time to time.

- (1) In each category, 30% Reservation for woman candidates shall be made on merit-cum-option basis.
- (2) The minimum percentage of marks in qualifying (10+2) & entrance examination for eligibility for admission to Under Graduate Medical and Dental courses shall be 40% for SC / ST / OBC candidates and 50% for unreserved category candidates.
- (3) Candidates claiming to be a candidate belonging to SC / ST / OBC (Non Creamy layer) category of Madhya Pradesh shall have to provide original certificate issued by the Competent Authority/ District Collector of M.P. under his signature and official seal, at the time of scrutiny of documents **Permanent Caste Certificate is compulsory for admission to reserve category.** Otherwise candidate will not be allowed to participate in the counselling. Certificate must contain dispatch No., date and signature of the officer and seal.
- (4) Three percent (3%) seats are reserved for admission to M.B.B.S./ B.D.S. courses for Physically Handicapped who are bonafide residents of Madhya Pradesh and belong to ST, SC, OBC and Unreserved category. This Reservation shall be horizontal.

As per MCI Notification No. सं.भा.आ.प.-34(41) 2008-मेडि./54469, दिनांक 25 मार्च, 2009, Firstly, the seats will be filled up from Candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70%. In case of non availability of candidates with locomotory disability of lower limbs between 50% to 70% then such unfilled seats shall be filled up by persons with locomotory disability of lower limbs between 40% and less than 50%. In case of non availability of reserved candidates as per the above mentioned reservation these seats will be filled by other candidates of same category.

The Vyapam will prepare separate merit lists on the basis of disability percentage, on the basis of which allotment of handicapped quota seats will be done. In case of equal marks in PMT Examination of candidates in either merit list the priority will be given to the candidate who is elderly to others on age basis.

Candidate claiming admission against these seats shall have to produce a certificate, in the prescribed form, from District Medical Board and an eligibility certificate from Superintendent Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Government of India, Ministry of Labour, Napier Town, Jabalpur. Which should not have been issued more than 3 months period from the date of Counselling. Both the certificates are necessary to be produced at the same time, during the scrutiny or else, the candidate will not be eligible for counselling.

Following categories of handicapped will not be eligible for admission as per the instructions of MCI :—

- (A) Handicapped by hand/hands
- (B) Handicapped by eyesight.
- (C) Deafness
- (D) Handicapped of legs more than 70%

6. FEE STRUCTURE.—(a) For BDS Courses As decided by Fee regulatory Committee.

(b) For MBBS Courses As decided by Fee regulatory Committee.

7. SECURITY DEPOSIT.—As decided by Fee regulatory Committee.

8. ELIGIBILITY.—(1) The Candidate must be a citizen of India

AND

For admission to MBBS/BDS course, only those candidates are eligible, who have passed the qualifying examination of Higher Secondary(10+2) from Board of Secondary Education, Madhya Pradesh, Bhopal. passing Physics, Chemistry and Biology subjects individually and have secured at least minimum 50% marks in aggregate in case of Un-reserved and 40% marks in case of reserved category candidates. Reserved category candidates opting seat from Un-reserved category must also have secured 50% marks in aggregate in Physics, Chemistry and Biology.

OR

The candidates have passed an equivalent or higher examination from any recognized Board or higher or equivalent examination conducted by University certified by School Education Department, Government of Madhya Pradesh with passing Physics, Chemistry and Biology subjects individually and have secured at least 50% marks in aggregate in case of unreserved category candidate and 40% marks in case of reserved category candidate. For foreign nationals seeking admission, eligibility shall be considered on the basis of equivalence certificate granted to them by concerned Board/University and approved by the External Affairs Ministry, Government of India.

Candidate of all categories and class are required to have passed ENGLISH as a subject in the 12th (Higher Secondary) examination of 10+2.

(2) No candidate shall be allowed to be admitted to a Private unaided Medical/Dental Colleges until the candidate has completed or shall complete the age of 17 year on or before 31 December of the year of examination.

For reckoning the age, as aforesaid, the date of birth as mentioned in the Certificate of High School of High School certificate examination or in MARK-SHEET of the said examination shall be the authentic documentary proof.

The evidence in support of proof of age may be considered if a candidate who otherwise satisfies the domicile requirements and who on account of being with his/her parents in a foreign country passes examination abroad, certified by the School Education Department of Government of Madhya Pradesh as equivalent to High School Certificate examination in Madhya Pradesh.

9. EXAMINATION.—(1) A common entrance examination will be conducted by **Madhya Pradesh Professional Examination Board** for Government Autonomous/ Government Medical/Dental Colleges and for Private unaided Medical/Dental Colleges of the State.

(2) A candidate has to give his/her option in the application form for (A) Government Autonomous/Government Medical/Dental Colleges of the State. (B) Private Unaided Medical/Dental Colleges of the State, (C) both. Candidate who are not bonafide residents of Madhya Pradesh can only choose option (B).

(3) Entrance Examination shall be conducted in ENGLISH AND HINDI medium. Candidate has to choose one medium, while filling up the application form.

(4) There shall be only one paper (multiple choice) of three hours duration. First part of this Paper will contain hundred multiple choice questions of the Physics and Chemistry subjects and the second part will contain hundred multiple choice question of the Botany and Zoology subjects.

10. DECLARATION OF RESULT.—The Madhya Pradesh Professional Examination Board shall conduct the examination and evaluate the answer sheets. Thereafter, the result will be declared along with the publication of merit list.

The allotment of a seat to eligible candidate in course and college shall be done by Counselling on merit-cum-option basis.

11. MERIT LIST.—(1) A merit list of Un reserved (Open) category shall be declared which shall consist of all successful candidates who have secured not less than 50% marks in qualifying Exam. (10+2) and P.M.T. entrance examination, 2013. 50% marks in qualifying exam. & P.M.T. exam are necessary for reserve category candidates also if they opt. a seat from unreserved category.

(2) The separate merit list of all reserved category (Scheduled Caste / Scheduled Tribe /Other backward Classes) will be prepared who have secured not less then 40% marks in P.M.T. entrance examination.

(3) In all the category-wise lists the PH candidates will be shown distinctly as such according to their merit.

(4) The separate list of PH candidate will also be prepared category wise as per their merit.

(5) There will be no waiting list.

NOTE.—Board will prepare a combined merit list of all the eligible candidates of all the categories and classes.

12. COUNSELLING.—(1) The allotment of seats shall be made through on line counselling. The detail programme of counselling will be advertised later. The counselling committee consist of the following, namely :—

- | | | | |
|-----|---|---|----------|
| (a) | Director Medical Education | - | Chairman |
| (b) | Joint Director of Medical Education | - | Member |
| (c) | An officer nominated by the Chairman, Admission and Fee Regulatory Committee. | - | Member |
| (d) | The officer of the agency in charge for conducting the test and declaring the result. | - | Member |

- | | | | |
|-----|--|---|---------|
| (e) | Three representatives to be nominated by the Chairman of the Committee. | - | Member. |
| (f) | Secretary of the Associations of Professional unaided private dental and medical colleges. | - | Member |

(2) **The programme for counselling shall be advertised in the leading Newspapers of the State and in DME web site www.mp.gov/medicaleducation.**

(9) During the first counselling, allotment of seats of Medical/Dental colleges shall be done. A candidate who has opted a BDS course during the first counselling, if he/she is desirous for re-allocation to MBBS course, he/she will be eligible for re-allocation on vacant seats of the MBBS course as per merit/category/class at the next counselling.

(10) Candidate's name should appear same in all the related documents i.e. mark sheet, certificates and other documents.

(11) If eligible candidates are not available for admission on vacant seats in PH class of any category such vacant seats shall be included in the OPEN [X] seats of the same category.

(12) A Candidate admitted to MBBS/BDS course on the basis of previous year's PMT examinations, if succeeds in the present examination, shall have to submit all the attested photocopies of documents together with a certificate of the Dean/Head of the institution certifying that original certificates are in his custody (showing list). On allotment of a seat the candidate shall have to present all the original documents to the authorities of the allotted college, at the time of admission.

13. ADMISSION.—Candidates who are allotted a subject course and a college by Counselling shall report on the notified date and time to the Dean / Principal of the College concerned.

- 13.1 The College admission committee consisting of Dean / Principal, two Professors and at least two Medical Teachers belonging to the reserved category shall also verify the original documents and, shall give admission in the course and the college allotted to the candidate.
- 13.2 A candidate once admitted, all his/her original documents shall be returned to the candidate & attested copy of all documents will be kept by college.
- 13.3 **The claim of admission of a candidate who fails to join by the last date of joining or left after joining shall be forfeited and allotment /admission given to him/her shall be deemed to have been cancelled and will not be eligible to participate in the counselling again in the same year.**
- 13.4 The candidates shall have to undergo TEST FOR MEDICAL FITNESS and shall be admitted only if they are found MEDICALLY FIT.

14. The academic session shall commence from 01-08-2013. Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason is 30-09-2013.

14.1 SCHEDULE FOR ADMISSION PROCESS FOR THE YEAR 2013 :—

- | | | | |
|----|----------------------------------|---|--------------|
| 1. | First counselling | — | By July 2013 |
| 2. | Commencement of Academic session | — | By 01-8-2013 |

3.	Second Counselling	—	By August 2013
4.	Last date up to which students can be admitted against vacancies arising due to any reason.	—	30-09-2013

Note:—1. As per the order dated 11-09-2002 of Hon'ble Supreme Court in Madhu Singh Vs MCI, no admission shall be made, in any condition, beyond 30th September of the concerned year. After 30-09-2013 the admission process will come to an end, irrespective of any vacancy.

In case of any further directions or judgement passed by Hon. Supreme Court necessary procedure shall be followed accordingly.

2. **The detailed programme of the counselling will be advertised in the leading News papers and DME web site www.mp.gov.in/medicaleducation or any change in the programme shall also be advertised in the news papers besides uploading the same information on the website www.mp.gov.in/medicaleducation.**
3. **Any student identified as having obtained admission after the last date of closure of admission, he/she shall be discharged from the course of study or any Medical /Dental qualification acquired by such student on such admission, the same shall not be treated as a recognized qualification for the purpose of MCI Act. 1956 or the Dentist Act. 1948, as the case may be.**

15. EXPLANATION OF RULES.—The State Government reserves the right to amend any rule and procedure for admission. In case, any dispute related to the interpretation of these rules and amendments thereto, the decision of the State Government shall be final and binding on all concerned.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. कुमरे, उपसचिव.